उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय
नैनीताल

दिनॉक 16.08.2022

समक्ष

माननीय श्री जस्टिस मनोज कुमार तिवारी जी

रिट याचिका (एम0एस0) सं0 369 वर्ष 2021

मध्य

भारत हैवी इलेक्ट्रिक्लस लिमिटेड एवं अन्य

..... याचिकाकर्ता

एंव

श्री राजेन्द्र सिंह @ राजेन्द्र और अन्य

..... उत्तरदाता

साथ में

मध्य

रिट याचिका (एम0एस0) सं0 368 वर्ष 2021

भारत हैवी इलेक्ट्रिक्लस लिमिटेड एवं अन्य

..... याचिकाकर्ता

(द्वारा श्री बी0के0 कोहली वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री कांति राम शर्मा, एडवोकेट)

एवं

श्री अनिल और अन्य

.....उत्तरदाता

(द्वारा श्री टी0ए0 खान वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री मौहम्मद हसनैन रजा एडवोकेट)

निर्णय

इन दोनों याचिकाओं में कानून व तथ्य के समान प्रश्न शामिल हैं। इसीलिए उक्त दोनों याचिकाओं को एक साथ लिया और निर्णित किया जाना आवश्यक है। हालॉकि संक्षिप्त में (2021) के डब्लू पीएमएस सं0 369 वर्ष 2021 के तथ्यों का उल्लेख किया जा रहा है।

2. यह याचिकाएं भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड हरिद्वार द्वारा दायर की गई हैं। जिसमें उपमुख्य श्रम आयुक्त (मध्य) देहरादून द्वारा पारित दिनॉक 28.10.2020 के आदेश को चुनौती दी गई है। उक्त आदेशों के तहत निजी प्रतिवादियों द्वारा दायर आवेदनों की अनुबंध श्रम विनिमय उन्मूलन केन्द्रीय नियम 1971 के नियम 25(2)(v)(ए) (संक्षेप में इसके बाद 1971 नियम के रुप में संदर्भित) को एक निष्कर्ष दर्ज करके निपटाया गया है कि कर्तव्यों और जिम्मेदारियों की प्रकृति भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड में सेवारत नियमित मालियों के समान ही प्राईवेट उत्तरदाता की है।

3. भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ने संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत इस न्यायालय के पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उप मुख्य श्रम आयुक्त (मध्य), द्वारा पारित किए गए आदेशों को चुनौती दी गई है।

4. प्रतिवादी ठेका मजदूर हैं जिन्हें भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड बी0एच0ई0एल0 की स्थापना में माली के कर्तव्यों का पालन करने के लिए लगाया गया है। ये लोग वर्ष 1987 में लगे थे। इसके बाद उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई, जिसके खिलाफ उन्होंने औधोगिक विवाद उठाया, जिसे श्रम न्यायालय, देहरादून में न्याय निर्णयन हेतु भेजा गया था। दिनॉक 05.07.1996 के आदेश के तहत, श्रम न्यायालय ने निजी उत्तरदाताओं के पक्ष में संदर्भ का जबाव दिया और उनकी सेवा समाप्ति को अन्यायपूर्ण और अवैध घोषित कर दिया। लंबी कानूनी लडाई के बाद, निजी उत्तरदाताओं को दिनॉक 08.01. 2005 ठेकेदार के माध्यम से फिर से नियुक्त किया गया।

5. वर्ष 2018 में निजी उत्तरदाताओं ने 2018 की रिट याचिका (एस/एस) सं0 1464 दायर की जिसमें मुख्य नियोक्ता द्वारा सीधे नियोजित माली को दिए जा रहे वेतन और अन्य लाभों का दावा किया गया था। उक्त रिट याचिका में

याचिकाकर्ता की ओर से एक विवाद उठाया गया था कि चूंकि बी0एच0ई0एल0 अपने स्थायी प्रतिष्ठानों में कार्यरत माली के साथ समानता के लिए ठेकेदार के माध्यम से लगे मालियों के दावे पर विवाद करता है, इसीलिए इस तरह के विवाद का निर्णय केवल 1971 के नियम 25(2)(v)(ए) के तहत ही किया जा सकता है। बीएचईएल की तरफ से उठायी गई आपत्ति के मददेनजर, उक्त रिट याविका का निस्तारण इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ द्वारा दिनॉक 22.02.2019 के आदेश के तहत उप मुख्य श्रम आयुक्त (मध्य), देहरादून को निर्णय लेने और इस निष्कर्ष पर आने के लिए निर्देशित किया गया कि क्या बी0एच0ई0एल0 के स्थायी प्रतिष्ठानों में काम करने वाले श्रमिकों द्वारा किये जाने वाले कार्यों की प्रकृति और प्रकार ठेका मजदूरों (उक्त रिट याचिका में याचिकाकर्ता) के समान है।

6. उक्त आदेश दिनॉक 22.02.2019 के अनुसरण में याचिकाकर्ताओं ने 2018 की डबल्यू0पी0एस0एस0 सं0 1464 (इस रिट याचिका में उत्तरदाता सं0 1 से 4) में उपमुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), देहरादून के समक्ष उपनियम के तहत आवेदन किया। ठेका श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1971 के नियम 25 के (2)(v)(ए) सहपठित ठेका श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 के तहत आवेदन दायर किया। जिसमें कहा गया कि वे उसी वेतन और अन्य लाभों के हकदार हैं। जो उन्हें बी0एच0ई0एल0 के स्थायी कर्मचारियों को दिया जा रहा है। ठेका श्रम (विनिमय उन्मूलन अधिनियम, 1970) के तहत बी0एच0ई0एल0 को जारी किए गए पंजीकरण प्रमाण पत्र के खंड 5 (डी) में उल्लेखित शर्त के मददेनजर और नियम 1971 के उपनियम (2)(v)(ए) के तहत निजी प्रतिवादियों द्वारा किए गए आवेदन का अनुतोष खण्ड नीचे उल्लेखित किया गया है। :

उपरोक्त निर्णय के आलोक में माननीय न्यायालय कृपया निम्नलिखित प्रश्नों का निर्णय करने की कृपा करें:

(1) विरोधी पक्ष सं0 1 द्वारा रखे गए माली के कार्य व प्रकृति उन्ही के समान है जो याचिकाकर्ताओ द्वारा किया गया।

(2) क्या श्री राजवंशी यादव रिट याचिका एस/एस 1464 वर्ष 2018 दाखिल करने की तारीख 15.03.2018 तक " माली" के रुप में अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे थे।

7. उप मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), देहरादून के समक्ष दायर अपने जबाव में, याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि निजी उत्तरदाता उसी तरह काम नहीं कर रहे हैं जैसा की बी0एच0ई0एल0 के स्थायी कर्मचारियों द्वारा किया जाता है और उनके कर्तव्यों की प्रकृति भी अलग है। याचिकाकर्ता ने आगे तर्क दिया कि स्थायी प्रतिष्ठान में कार्यरत मालियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा एक भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्त किया जाता है, जबकि ठेकेदार के माध्यम से नियुक्त मालियों को ऐसी किसी भी भर्ती प्रक्रिया का सामना नहीं करना पडता है, इसीलिए मजदूरी के मामले में समानता के लिए ठेकेदार के माध्यम से लगे मालियों का दावा निराधार है।

8. दिनॉक 28.10.2020 का आदेश, इसमें विवादित, रिट याचिका के अनुलग्नक–13 के रुप में संलग्न है। इसके अवलोकन से पता चलता है कि विद्वान उप मुख्य श्रम आयुक्त (मध्य), देहरादून ने इस निष्कर्ष पर पहुॅचने से पहले सभी प्रासंगिक पहलुओं पर बहुत विस्तार से विचार किया है कि ठेकेदार के माध्यम से लगे निजी उत्तरदाता और बीएचईएल की नियमित स्थापन में कार्यरत माली एक ही तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं। इस तरह के निष्कर्ष पर पहुॅचने के लिए जिन कारकों पर विचार किया गया है, वे हैं **(i)** कार्य की प्रकृति, (ii) किए गए कर्तव्य (iii) निजी उत्तरदाताओं द्वारा निभाए गए उत्तरदायित्व, (iv) उनकी विश्वनीयता और (v) कौशल की डिग्री।

9. उपरोक्त निष्कर्ष पर पहुॅचने से पहले, उप मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) ने सहायक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) और श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केन्द्रीय) से रिपोर्ट मांगी थी, जिन्होंने बी0एच0ई0एल0 स्थापन का क्षेत्र दौरा करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

10. निजी उत्तरदाताओं द्वारा किये जाने वाले काम की प्रकृति और कर्तव्यों के मुददे पर, यह माना गया है कि निजी उत्तरदाता माली के समान काम कर रहे हैं और माली के दो सेटों के बीच किए गए कर्तव्यों के बीच कोई गुणात्मक अंतर नही है। यह भी कहा गया है बी0एच0ई0एल0 प्रबंधन द्वारा यह दिखाने के लिए कोई जॉब चार्ट साझा नहीं किया गया था कि स्थायी माली के काम की प्रकृति ठेकेदार के माध्यम से लगे माली से अलग कैसे है। आगे यह भी कहा गया है कि सहायक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) और श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केन्द्रीय) द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों में भी, बी0एच0ई0एल0 की नियमित मालियों और संविदात्मक मालियों द्वारा की जाने वाली नौकरी की प्रकृति के बीच का अंतर करने में असमर्थता को उजागर किया गया है और इस प्रकार एक निष्कर्ष भी दर्ज किया गया कि अलग जॉब चार्ट के अभाव में, नियमित मालियों द्वारा किए गए कार्य को ठेकेदार के माध्यम से लगे मालियों के कार्य से अलग नहीं किया जा सकता है।

11. जिम्मेदारियों के मुददे पर, विद्वान उप मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) ने एक निष्कर्ष दर्ज किया है कि हालांकि बी0एच0ई0एल0 के प्रबंधन द्वारा स्थायी मालियों पर भरोसा किया जा रहा है और उन्हें कमरों की चाबियॉ सौंपी गई हैं, हालांकि यह है कि इस कारण से कि वे स्थायी माली हैं और वे बी0एच0ई0एल0 के स्थायी माली हैं और वे बी0एच0ई0एल0 के सीधे वेतनभोगी हैं, और यह किसी भी तरीके से नहीं दर्शाता है कि माली की प्राथमिक नौकरी के संबंध में कर्तव्यों में विचलन है, जैसे झाडू लगाना, साफ करना, रखरखाव करना और देखभाल करना लॉन और पार्क, आदि।

12. कौशल की डिग्री के मुददे पर, यह माना गया है कि भले ही नियमित मालियों ने ठेकेदार के माध्यम से लगे मालियों की तुलना में थोडा उच्च स्तर तक औपचारिक शिक्षा प्राप्त की हो , हालांकि, कौशल की डिग्री यह सालों की

औपचारिक शिक्षा नहीं है जो किसी के पास है, बल्कि नौकरी करने के लिए आवश्यक कौशल है, जो वर्तमान मामले में माली का है। यह भी कहा गया है कि बी0एच0ई0एल0 का प्रबंधन यह दिखाने के लिए कोई सामाग्री प्रदान नहीं कर सका कि माली का कौशल उसका औपचारिक शिक्षा/ शैक्षिक उपलब्धि पर निर्भर है। यह भी कहा गया है की हालांकि औपचारिक शिक्षा की भुमिका को पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, हालांकि अगर माली के रुप में कर्तव्यों के प्रदर्शन के लिए औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता होती, तो बी0एच0ई0एल0 इतनी लंबी अवधि के लिए अनुबंधित माली की सेवाओं का उपयोग नहीं कर सकता था, और वह भी बिना किसी शिकायत के ।

13. याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता का तर्क है कि उप मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) द्वारा पारित आदेश गलत और अस्थिर है। अपने इस तर्क के समर्थन में कि रिट याचिका में लगाया गया आदेश कानून के विपरित है, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने पंजाब राज्य और अन्य बनाम सुरेन्द्र् सिंह और अन्य 2007 , एस0सी0सी0 231 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले पर भरोसा किया गया, हालांकि उक्त निर्णय तथ्यों पर अलग अलग है क्योंकि उस मामले में एक सिविल कार्ट ने ट्रैक्टर चलाने के लिए लगे एक दैनिक मजूदर को समान काम के लिए समान वेतन देने का निर्देश दिया था, हालांकि, नियमितीकरण के लिए उनकी दूसरी प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया गया था। हाईकोर्ट ने द्वितीय अपील में ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा । माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को रद्द कर दिया कि वेतनमान प्रदान करना कार्यकारी और विधायी कार्य हैं, न कि न्यायिक कार्य, इस प्रकार ट्रायल कोर्ट नियमित ट्रैक्टर चालक के बराबर वेतन के भुगतान के लिए निर्देश नहीं दे सकता था।

14. याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने हरियाणा राज्य बनाम जसबीर सिंह 1996 (11) एस0सी0सी0 77 मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए एक अन्य निर्णय पर भरोसा किया गया। यह निर्णय तथ्यों के आधार पर भी अलग अलग है। उस मामले में एक रिट अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए हरियाणा राज्य द्वारा दैनिक वेतन के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों को समान वेतन देने का निर्देश दिया था।

15. याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया था कि विवादित आदेश टिकाऊ नहीं है क्योंकि उप मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) यह विचार करने में विफल रहे की भर्ती का स्रोत और नियुक्ति का तरीका अनुबंध पर लगे नियमित मालियों और मालियों के सबंध में पूरी तरह से अलग है।

16. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता का उपरोक्त तर्क मेरिट से परे है। 1971 के नियम 25(2)(v)(ए) ठेकेदार के माध्यम से नियुक्त कामगार को एक वैधानिक आधार प्रदान करता है कि वह प्रतिठान में कार्यरत किसी भी अन्य कर्मचारी के समान वेतन और अन्य लाभों का हकदार होगा, बशर्ते कि ऐसा कामगार कार्यरत हो ठेकेदार के माध्यम से समान या समान प्रकार का कार्य करता है। इस प्रकार कानून स्वयं दो श्रेणियों के श्रमिकों के बीच नियुक्ति के तरीके में अंतर को पहचानता है। फिर भी यह उस प्रतिष्ठान के नियमित कर्मचारियों के साथ अनुबंध में लगे कामगारों के वेतन और लाभों में समानता की गारण्टी देता है। इस पहलू पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कैमिकल मजदूर पंचायत बनाम इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड (2018) 16 एस0सी0सी0 25 के मामले में विचार किया गया है। उक्त निर्णय के पैरा सं0 5 व 7 नीचे दिए गए हैं।

5 भर्ती के स्रोत के आधार पर किए गए भेद और उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष भी सही नहीं हैं। भर्ती के स्त्रोतों के बीच अंतर होना चाहिए, फिर भी नियमों के नियम 25 सुरक्षा प्रदान करता है, क्योंकि स्थायी कर्मचारियों को नियोक्ता द्वारा प्रक्रिया के एक अलग

भाग द्वारा शामिल किया जाता है, जबकि ठेकेदार द्वारा नियोजित श्रमिकों के लिए प्रेरणा की प्रक्रिया बाध्य है। प्रथम दृष्टया सुरक्षा एक ठेकेदार द्वारा नियोजित कर्मचारी को समान वेतन से प्रदान की जाती है। इस पहलू पर किसी निष्कर्ष पर पहुॅचने से पहले इस संबंध में पूर्वोक्त नियमों और कानून के विशिष्ट नियम 25 के प्रभाव को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

7 इसी तरह कौन किस वस्तु को पकाता है, इस आधार पर काम की प्रकृति में मामूली बदलाव के संबंध में, उच्च न्यायालय समानता को खारिज नहीं कर सकता। नियमित भोजन तैयार करने की तुलना में अक्सर स्नैक्स तैयार करना कठिन होता है। कार्य की प्रकृति के बीच पर्याप्त अंतर होना चाहिए। यह मामलों के तथ्यों में पकाए जाने वाली वस्तुओं के आधार पर नहीं हो सकता । मामले में कोई नियमित भोजन बना रहा है और कोई स्नैक्स तैयार कर रहा है। जो कि किए गए कार्य की प्रकृति को अलग करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं हो सकता है। इसी तरह मालियों के लिए केवल यह तथ्य कि ग्रॉफटिंग नियमित मालियों द्वारा की जाती है। बहुत अधिक अंतर नहीं लाएगा।

17. यह विवाद नहीं है कि इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ ने 1971 के नियमों के नियम 25(2)(v)(ए) के तहत प्रदान किए गए मंच पर निजी प्रतिवादियों को हटा दिया था। इस न्यायालय के आदेश के अनुसार, उप मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) ने एक निष्कर्ष दिया है कि निजी उत्तरदाताओं के कार्य, कर्तव्य और जिम्मेदारियॉ बी0एच0ई0एल0 की स्थापन में कार्यरत नियमित मालियों के समान है। यह न्यायालय उप मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) द्वारा पारित आदेश में कोई विकृति नहीं पाता हैं, जो इन रिट याचिकाओं में विवादित है।

18. याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने उचित रुप से प्रस्तुत किया कि वह इस मुददे को तय करने के लिए उप मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) उनके अधिकार क्षेत्र पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, और वह आक्षेपित आदेश में दर्ज निष्कर्ष को चुनौती दे रहे हैं।

19. कानून में यह स्थापित स्थिति है कि संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत पर्यवेक्षी अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, यह न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों या न्यायाधिकरणों द्वारा पारित आदेश पर अपील नहीं करता है, जैसा कि भारत के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित किया गया था। पाइप फिटिंग कम्पनी बनाम फकरुदीन एम0ए0 बेकर और अन्य, (1977) 4 एस0सी0सी0 587 में रिपोर्ट किया गया। उक्त निर्णय का पैराग्राफ सं0 5 के नीचे दिया गया है:

> " 5 संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत शक्ति का प्रयोग करते समय उच्च न्यायालय की सीमा अच्छी तरह से तय है। अनुच्छेद 227 के तहत शक्ति न्यायिक अधीक्षण में से एक है और तथ्यों के निष्कर्षों को परेशान करने के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है, हालांकि वे गलत हो सकते हैं वरयाम सिंह बनाम अमरनाथ में इस न्यायालय की संविधान पीठ के निर्णय का उल्लेख करने के लिए यह अच्छी तरह से स्थापित और शायद बहुत देर हो चुकी है, जहॉ सिद्धांत स्पष्ट रुप से निम्नानुसार निर्धारित किए गए हैं। :
>
> "अनुच्छेद 227 द्वारा प्रदत्त अधीक्षण की यह शक्ति जैसा कि डालमिया जैन एयरवेज लिमिटेड बनाम सुकमार मुखर्जी में हैरी, सीजे द्वारा इंगित किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालयों को उनके अधिकार की सीमा के भीतर रखने के लिए और केवल त्रुटियों को ठीक करने के लिए नहीं बल्कि केवल उचित मामलों में प्रयोग किया जाना चाहिए।''
>
> नागेन्द्र नाथ बनाम बोरा बनाम कमिश्नर ऑफ हिल्स डिविजन एण्ड अपील्स, असम में इस न्यायालय की अन्य संविधान पीठ ने भी यह विचार दोहराया था, यह तक की हाल ही में बाम्बे रेंट, होटल एंड लॉजिंग हाउस रेंट्स कंट्रोल एक्ट, 1947 के तहत एक मकान मालिक और किराएदार के बीच मुकदमे से निपटने वाले बथुटमल रायचंद ओसवाल बनाम लक्ष्मीबाई आर. टार्टा में, इस अदालत ने अपने पहले के फैसलों पर भरोसा जताते हुए कहा:

"यदि कोई त्रुटि हो भले ही रिकॉर्ड के सामने स्पष्ट हों, उत्प्रेषण की रिट के माध्यम से इसे ठीक नहीं किया जा सकता है, इसे एक फोर्टयॉरी का पालन करना चाहिए कि यह अनुच्छेद 227 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में उच्च न्यायालय द्वारा सुधार के अधीन नहीं है। तथ्य की

त्रुटि को ठीक करने के लिए अनुच्छेद 227 के तहत अधीक्षण का आहान नहीं किया जा सकता है, जो केवल एक उच्च न्यायालय अपील की अदालत के रुप में अपनी वैधानिक शक्ति का प्रयोग करते हुए कर सकता है। उच्च न्यायालय अनुच्छेद 227 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने की आड में खुद को अपील की अदालत में परिवर्तित नहीं कर सकता है जब विधानमंडल ने अपील का अधिकार नहीं दिया है और तथ्यों में अधीनस्थ अदालत या न्यायाधिकरण के निर्णय को अंतिम बना दिया है।"

20. इसी तरह राधेश्याम और अन्य बनाम के मामले मे छविनाथ और अन्य, (2009) 5 एस0सी0सी0 616 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत शक्ति का प्रयोग बहुत ही संयम से किया जाना चाहिए जब न्याय की स्पष्ट हत्या हुई हो। उक्त निर्णय के पैरा सं0 31 को नीचे उद्धत किया गया हैः—

> " संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत, उच्च न्यायालय कोई रिट या प्रमाण पत्र जारी नहीं करता है। संविधान के अनुच्छेद 227 उच्च न्यायालयों को अधीक्षण की शक्ति प्रदान करता है जिसका न्यायाधिकरणों और अदालतों को उनके अधिकार की सीमा के भीतर रखने के लिए बहुत कम प्रयोग किया जाता है। अनुच्छेद 227 के तहत, दीवानी और फौजदारी दोनों अदालतों के आदेशों का प्रयोग केवल बहुत ही असाधारण मामलों में किया जा सकता है, जब न्याय की स्पष्ट हत्या हुई हो। हालांकि, इस तरह की शक्ति का प्रयोग तथा तथ्य और कानून की गलती को सुधारने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। "

21. विवादित आदेशों में, उप मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) ने इस तथ्य का निष्कर्ष दर्ज किया है कि निजी उत्तरदाता नियमित माली द्वारा किए जाने वाले कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। निजी उत्तरदाताओं को कोई लाभ प्रदान करने के लिए बी0एच0ई0एल0 को कोई निर्देश नहीं दिया गया है। यह न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए आक्षेपित आदेशों में दर्ज तथ्य के निष्कर्ष को विचलित करने के लिए इच्छुक नहीं है। ऐसे में मामले में दखल की कोई गुंजाइश नहीं है।

22. नतीजन, रिट याचिकाएं विफल हो जाती हैं और खारिज कर दी जाती हैं।

(मनोज कुमार तिवारी,जे0)

नवीन